

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  2020/00025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.06.2020	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उमेश आगाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा मुरलिया पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदोसर में स्थित खाता संख्या 88 में अंकित आराजी 105, रकबा 0.86 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 129 रकबा 0.6000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 84 की आराजी नम्बर 104 रकबा 1.3500 हैक्टेयर स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दौ हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में मौजा मुरलिया पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदोसर में स्थित खाता संख्या 88 में अंकित आराजी 105, रकबा 0.86 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 129 रकबा 0.6000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 84 की आराजी नम्बर 104 रकबा 1.3500 हैक्टेयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार विना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के जारी सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गइ पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	

(अजु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी  
भदोसर

